संख्या-49/2026/557/22-4-2026-2009073

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 11 अगस्त, 2026**

विषयः-जनपद भदोही में नवीन जिला कारागार (574 बंदी क्षमता) के निर्माण कराए जाने हेतु प्रायोजना एवं लागत की धनराशि रू0 20918.64 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर महानिरीक्षक(प्र0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-22278/नम-2/जि0का0 भदोही/2026, दिनांक 09.06.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद भदोही में नवीन जिला कारागार (574 बंदी क्षमता) के निर्माण कराए जाने हेतु सम्पूर्ण प्रायोजना एवं लागत की धनराशि रूपये 20918.64 लाख की शासनादेश संख्या-03/22-4-2026-2009073, दिनांक 05.06.2026 द्वारा निर्गत प्रशासकीय स्वीकृति के अनुक्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रायोजना की लागत का 35 प्रतिशत धनराशि रूपये 7321.524 लाख की वित्तीय स्वीकृति स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप महानिरीक्षक, कारागार द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(4) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि बिना पी0एफ0ए0डी0 के पूर्व अनुमोदन के प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।

(5) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। महानिरीक्षक, कारागार परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 में निहित प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा शासनादेश दिनांक 26.08.2014 एवं दिनांक 15.06.2018 के अनुसार परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(10) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(11) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए।

(12) यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं उनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अन्तर आना स्वाभाविक है, क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें।

(13) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।

(14) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृतियों से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के नवीनतम शासनादेश दिनांक 17.05.2023 एवं दिनांक 19.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा मूल स्वीकृत लागत के सापेक्ष निविदा की धनराशि के पश्चात् अवशेष धनराशि से प्राप्त ब्याज आदि की धनराशि का नियमानुसार राजकोष में जमा करा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना की भौतिक प्रगति, धनराशि अवमुक्त तथा सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर दर्ज किये जाने आदि के संबंध में नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 07.06.2022 में निहित प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2027 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

(18) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2019/बी-2-615/दस-2019, दिनॉक 13.12.2019 के अनुसार प्रायोजना का निर्माण/क्रियान्वयन ई०पी०सी० मोड द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। अतः लोक निर्माण विभाग (नोडल विभाग) द्वारा प्रायोजना के सम्बन्ध में ई०पी०सी० मोड की समस्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(19) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-5/2021/फाइल नं0-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in india, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार महानिरीक्षक, कारागार/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(20) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च,2021 का यथा आवश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

(21) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(22) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(23) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। महानिरीक्षक, कारागार का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही महानिरीक्षक, कारागार का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत सामग्री (CONSUMED) हुई मुख्य (सीमेन्ट/स्टील/बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक /मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर,2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(24) प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युत संयोजन हेतु धनराशि अनुमन्य की गयी है। निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत संयोजन हेतु विद्युत विभाग से विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाये तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाये।

(25) प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 73,21,52,400 (रुपये तिहत्तर करोड़ इक्कीस लाख बावन हजार चार सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000800 कारागारों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-**E-12-123-X-2026-27**, दिनांक: **11.08.2026** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-49/2026/557(1)/22-4-2026-2009073, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) जिलाधिकारी, भदोही।
(6) कोषाधिकारी, भदोही।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार, भदोही।
(9) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in